24.12.2024

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक वाद संख्या 64/2016 सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में प्रस्तुत हुआ, जिसमें पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा दिनांक 09.12.2023 को हुआ एवं उपरोक्त राजीनामे के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में आए मकान का हिस्सा, जो उमाकान्त पुत्र श्री देवशंकर दवे का पट्टा संख्या 48 दिनांक 09.09.2009 का बना हुआ है, को अप्रार्थीगण निरस्त करवा देगें और प्रार्थी के नाम से नया पट्टा ग्राम पंचायत से जारी किया जाएगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ है, जिसके अनुरूप प्रार्थी का निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त करने का आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही प्रार्थी के हक हिस्से में आए मकान का नया पट्टा उसके नाम से जारी करने हेतु ग्राम पंचायत रोहिडा को आदेशित करने हेतु उनकी सहमति मानी जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता श्री उमाकान्त पुत्र श्री देवशंकर निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम जारी पट्टा संख्या 48 दिनांक 09.09.2009 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि से सम्बन्धित वाद सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में प्रस्तुत हुआ, जिसमें दिनांक 09.12.2023 को पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ कि उक्त वादग्रस्त पट्टा, जो अप्रार्थीगण के पिता श्री उमाकान्त जी के नाम से बना हुआ है, को अप्रार्थीगण के द्वारा नियमानुसार खारिज करवाया जाएगा एवं उसके पश्चात उक्त मकान का पट्टा प्रार्थी स्वयं के नाम से बनवाने का हकदार होगा, जिसमें अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं के द्वारा भी इस न्यायालय में उक्त वादग्रस्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु सहमति दी गई है। अतः सिविल न्यायालय पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 09.12.2023 को किए गए निर्णय अनुसार एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स[illegible] पंचायत रोहिडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 48 दि[illegible] फुट को निरस्त किया जाता है [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner